इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2015—वैशाख 4, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

सूचना

क्र. एफ-3-131-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपित्त या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा निकास से उक्त कालाविध का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के उपनियम (2) में, मद (क) में, खण्ड (एक), (दो), (तीन) तथा (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं अर्थात:—

''(एक)	आयुक्त, नगरपालिक निगम	अध्यक्ष
(दो)	जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि	सदस्य
(तीन)	पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि	सदस्य
(चार)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	सदस्य.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मृद्गल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. एफ. 3-131-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-131-2012-बत्तीस दिनांक 24 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुद्गल, उपसचिव.

Bhopal, the 24th April 2015

NOTICE

No. F-3-131-2012-XXXII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion, which may be received from any person, institution and bodies with respect to said draft before the expiry of the said peroid shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 12, in sub-rule (2), in item (A), for clauses (i), (ii), (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(i)	Commissioner, Municipal Corporation	Chairman
(ii)	Representative of District Collector	Member
(iii)	Representative of Superintendent of Police	Member
(iv)	Chief Executive Officer, Development Authority/Special Area Develoment Authority.	Member".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. K. MUDGAL, Dy. Secy.